मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 6/03/2024

क्र. IPI/5/0052/2023/ए-ग्यारह:: राज्य शासन एतद् द्वारा मेसर्स यशोदा लिनेन यार्न लि. द्वारा विक्रम उद्योगपुरी उज्जैन, जिला उज्जैन में दो चरणों में रूपये 226.00 करोड के स्थाई पूंजी निवेश से लिनेन यार्न निर्माण इकाई की स्थापना संबंधी प्रस्ताव (DIPIP2202110001) पर प्रथम चरण (प्रस्तावित स्थाई पूंजी निवेश रू. 113.00 करोड) हेतु निम्नानुसार सुविधायें दिये जाने का निर्णय लिया गया-

1. **निवेश प्रोत्साहन सहायता-** उद्योग सवंर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित) अनुसार शर्तों के अध्याधीन प्रदान की जाये।

2. **विद्युत टैरिफ में रियायत-** परियोजना अंतर्गत स्थापित किये गये नवीन विद्युत संयोजन पर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की दिनांक से 05 वर्षों हेतु प्रचलित विद्युत दर पर रू. 1/- प्रति यूनिट की दर से छूट प्रदान की जाये, जिसकी अधिकतम सीमा राशि रु. 4.00 करोड होगी । उक्त छूट की प्रतिपूर्ति एमपीआईडीसी द्वारा संबंधित इकाई को की जाये। यह स्पष्ट किया जाता है कि यह छूट विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत टैरिफ पर दी जा रही छूट, यदि कोई हो तो, के अतिरिक्त होगी।

3. **विद्युत शुल्क से छूट-** परियोजना अंतर्गत स्थापित किये गये नवीन विद्युत संयोजन पर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की दिनांक से 05 वर्ष हेतु विद्युत शुल्क से छूट प्रदान की जाये, जिसकी अधिकतम सीमा राशि रु. 3.00 करोड होगी।

4. **ब्याज अनुदान-** परियोजना अंतर्गत स्थापित की जाने वाली प्लांट एवं मशीनरी पर वित्तीय संस्था/ बैंक से लिये गये टर्म लोन पर 5% की दर से 5 वर्ष हेतु प्रदान की जाये।

5. **भूमि आवंटन में रियायत-** परियोजना को विक्रम उद्योगपुरी उज्जैन में भूमि आवंटन पर प्रभारित भूमि प्रब्याजी एवं विकास शुल्क पर 50% की छूट प्रदान की जाये। भूमि हेतु देय राशि का भुगतान 4 वार्षिक किश्तों में किये जाने संबंधी सुविधा प्रदान की जाये। इस बाबत जारी आशय पत्र अनुसार देय राशि समायवधि के पश्चात जमा करने पर प्रभारित ब्याज से छूट प्रदान की जाये। इकाई को आवंटित भूमि की प्रब्याजी एवं विकास शुल्क तथा अन्य छूट की राशि की प्रतिपूर्ति एमपीआईडीसी द्वारा विक्रम उद्योगपुरी उज्जैन को की जाये।

6. **प्रशिक्षण व्यय प्रतिपूर्ति-** परियोजना अंतर्गत प्रथम वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने की दिनांक से 5 वर्षों तक नियुक्त किये गये मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी नवीन कर्मचारी के प्रशिक्षण में किये गये व्यय पर रु. 13000/- प्रति कर्मचारी की दर से प्रशिक्षण व्यय की प्रतिपूर्ति अधिकतम रू. 1 करोड़ की सीमा तक की जाये।

7. परियोजना को स्वीकृत सुविधाओं का लाभ इस शर्त पर प्राप्त होगा कि परियोजना में इस परिप्रेक्ष्य में आदेश जारी होने की दिनांक से प्रतिबद्ध निवेश के साथ 3 वर्ष में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर लिया जाये।

निरंतर.....

8. परियोजना को उद्योग सवंर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित) अन्तर्गत प्रावधानित अन्य सुविधाओं का लाभ विहित शर्तों के अध्याधीन प्राप्त होगी।

9. कम्पनी की शेष अन्य मांगों को अमान्य किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार

(शाश्वत सिंह मीना)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

पृ. क्र. क्र. IPI/5/0052/2023/ए-ग्यारह
भोपाल, दिनांक 16/03/2024

प्रतिलिपि:-

1. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग/ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
3. आयुक्त, उज्जैन संभाग उज्जैन।
4. कलेक्टर, जिला- उज्जैन।
5. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. भोपाल।
6. आथोराइज्ड सिग्नेटरी, डायरेक्टर, मेसर्स यशोदा लिनेन यार्न लि., 5 मिडलटन स्ट्रीट, कंकारिया पार्क, कोलकाता(पश्चिम बंगाल) - 700071।

- की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग